

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): इंदौर अर्बन

P.S. (थाना): क्राइम ब्रांच

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0050

Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 11/03/2025 20:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	409
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

22/06/2022

23/09/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

10:00 बजे

23:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/03/2025

Time (समय): 19:40 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 029

Date & Time (दिनांक और समय): 11/03/2025 20:01

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 3.5 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): 02, मीरा कुंज, जाय पलासिया, साकेत नगर के पास पत्रकार चौराहा, इन्दौर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): रिषभ सचदेवा

(b) Father's Name (पिता का नाम):

त्रिभुवन सचदेवा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	02, जाय पलासिया, साकेत नगर के पास, पत्रकार चौराहा, इन्दौर, पलासिया, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	02, जाय पलासिया, साकेत नगर के पास, पत्रकार चौराहा, इन्दौर, पलासिया, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9926936161

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	प्रवीण मित्तल /PRAVIN MITTAL			1. 7/2, खजराना कोठी, वैकुण्ठ धाम, तिलक नगर, इन्दौर, तिलक नगर, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत

2	प्रणव मित्तल /PRANAV MITTAL			1. 7/2, खजराना कोठी, वैकुण्ठ धाम, तिलक नगर, इन्दौर, तिलक नगर, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत
---	-----------------------------------	--	--	---

3	वरूण मित्तल /VARUN MITTAL			1. 7/2, खजराना कोठी, वैकुण्ठ धाम, तिलक नगर, इन्दौर, तिलक नगर, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश, भारत
---	------------------------------	--	--	---

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
--------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। शिकायत कर्ता JBB मार्केटिंग प्रा.लि. डायरेक्टर रिषभ सचदेवा पिता त्रिभूवन सचदेवा उम्र 35 साल निवासी 2 जय पलासिया साकेत नगर के पास पत्रकार चौराहा इंदौर मो.न. 9926936161 के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संमक्ष प्रस्तुत होकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा नगरीय इंदौर के कार्यालय पर दर्ज शिकायत क्रमांक 49PP/2024 दिनांक 11/10/2024 पर दर्ज होकर जांच हेतु प्राप्त हुआ दौरान जांच में शिकायत आवेदन कर्ता JBB मार्केटिंग प्रा.लि. डायरेक्टर रिषभ सचदेवा से पूछताछ कर कथन लेख किये गये कथनो एवं शिकायत जांच पर पाया गया कि आवेदक रिषभ सचदेवा डायरेक्टर JBB मार्केटिंग प्रा.लि. जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन के लिए डेल क्रेडर एजेंट है, जो कि PVC (Polyvinyl Chloride), PP (Polypropylene) PE (Polyethylene) की आपूर्ति अपने ग्राहको को करते है, आवेदक की JBB मार्केटिंग के द्वारा अनावेदक नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड को कच्चे माल की आपूर्ति की गई। अनावेदक नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड के संचालन कर्ता प्रवीण मित्तल, प्रणव मित्तल, वरूण मित्तल के द्वारा आवेदक रिषभ सचदेवा की JBB मार्केटिंग प्रा.लि. से प्राप्त कच्चे माल की राशि का भूगतान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (CBI) द्वारा जारी LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) के माध्यम

से किया जाता था। अनावेदक ने आवेदक से राशि 10,94,02,509/- रुपये (दस करोड़ चौरयान्बे लाख दो हजार पांच सौ नौ रुपये) का माल प्राप्त किया, किंतु माल प्राप्त कर उक्त माल की राशि का भूगतान नहीं किया गया, अनावेदक को कच्चे माल की आपूर्ति आवेदक के माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया जिसका भूगतान आवेदक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नियत समय पर कर दिया किंतु अनावेदक ने आवेदक को आज दिनांक तक भूगतान नहीं किया। अनावेदक के द्वारा प्राप्त माल की राशि का भूगतान नहीं किये जाने के कारण आवेदक को अक्टूबर 2022 से लगातार संबंधित बैंक को व्याज का भूगतान किया जा रहा है। अनावेदक नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड के संचालन कर्ता के द्वारा LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) का दुरुपयोग किया गया और अपने LC जारी करने वाले बैंक में समय सीमा के भीतर इन्वइस जमा नहीं किया एवं अनावेदक कंपनी के मैनिजिंग डायरेक्टर प्रवीण मित्तल के पुत्र वरूण मित्तल ने स्वयं के मोबाइल नम्बर 9669155617 से आवेदक JBB मार्केटिंग प्रा.लि. के डायरेक्टर रिषभ सचदेवा के (मोबाइल नंबर) व्हाट्सएप नम्बर 9926936161 में सेंड की गई LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) जिसमें ICICI बैंक की LC नम्बर 265 दिनांक 22.6.2022 राशि 12,50,883/- रुपये, (2) LC नम्बर 277 दिनांक 24.06.2022 राशि 44,80,793/- रुपये, (3) LC नम्बर 500 दिनांक 06.10.2022 राशि 26,50,000/- रुपये, (4) LC नम्बर 501 दिनांक 06.10.2022 राशि 23,89,229/- रुपये सेंड की गई उक्त LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) आज दिनांक तक बैंक से जारी ही नहीं होना पाई गई एवं LC नम्बर 211 दिनांक 24.05.2022 राशि 32,34,000/- रुपये जो कि उक्त दिनांक को ना खुलते हुये दिनांक 25.05.2022 को राशि 13,75,000/- रुपये की ही प्राप्त हुई जिसमें राशि 18,59,000/- रुपये कम प्राप्त हुये, इसी प्रकार LC नम्बर 502 दिनांक 6/10/2022 में राशि 52,64,359/- की बताई गई जबकि उक्त LC नियत दिनांक की जगह दिनांक 15.10.2022 को राशि 35,44,201/- रुपये की प्राप्त हुई जिसमें कुल राशि 17,20,158/- रुपये कम प्राप्त हुये, इस प्रकार गलत व फर्जी LC व उसकी राशि भी गलत बताई गई एवं इसी प्रकार IDBI बैंक की LC नम्बर 600 दिनांक 13.12.2022 राशि 45,34,283/- रुपये एवं LC नम्बर 602 दिनांक 13.12.2022 राशि 25,36,528/- रुपये की वरूण मित्तल ने जरिये व्हाट्सएप में आवेदक रिषभ सचदेवा को भेजी थी, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त ही नहीं हुई, इसके अलावा अनावेदक के द्वारा SBI बैंक की डिस्काउन्टिंग LC NO. 158 दिनांक 31.07.2023 राशि 20,00,000/- रुपये की बताकर वरूण मित्तल ने जरिये व्हाट्सएप में आवेदक रिषभ सचदेवा को भेजी गई जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार अनावेदक नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड के संचालन कर्ता के प्रवीण मित्तल, प्रणव मित्तल एवं वरूण मित्तल के द्वारा LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) का भी दुरुपयोग करना पाया गया। दौराने जांच में कथन, प्राप्त दस्तावेज एवं अनावेदक वरूण मित्तल ने आवेदक रिषभ सचदेवा को जरिये व्हाट्सएप के भेजी ICICI बैंक की LCS (लेटर ऑफ क्रेडिट) की जानकारी ICICI बैंक को पत्राचार कर प्राप्त करते LC नम्बर 265 दिनांक 23.06.2022 राशि 6,73,072/- रुपये जो कि नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड से जारी तो की गई किंतु आवेदक JBB मार्केटिंग को जारी ना करते हुये, अन्य प्लास्टीब्लेन्डस इण्डिया लिमिटेड को जारी की गई, इसी प्रकरण अन्य LC नम्बर 277 दिनांक 24.06.2022 राशि 44,80,000/- रुपये एवं LC नम्बर 500 दिनांक 06.10.2022 राशि 26,50,000/- रुपये जो कि बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राप्त ही नहीं होना बताया गया एवं LC नम्बर 501 दिनांक 06.10.2022 राशि 23,89,00,000/- रुपये कि बताई गई थी बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त LC नम्बर 501 दिनांक 15.10.2022 राशि 47,90,00,000/- रुपये की होकर फ्लेकजिटफ वेनर्सस इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा एस एस पी इन्टरप्राइजेस प्रा.लि. को जारी की गई है। इससे स्पष्ट होता है, कि अनावेदकगण का उद्देश्य ही आवेदक गलत व फर्जी LC बताकर धोखाधड़ी पूर्वक माल प्राप्त कर सदोष लाभ प्राप्त करना था। अनावेदकगण के द्वारा आवेदक से माल प्राप्त किया गया और उक्त माल की भूगतान राशि के लिये SBI बैंक की डिस्काउन्टिंग LC नम्बर 101 दिनांक 18.03.2023 राशि 45,20,626/- रुपये, की जारी की गई किंतु माल प्राप्त होने के बाद उक्त LC नम्बर 101 दिनांक 23.03.2023 को बैंक के द्वारा कैंसिल कर दी गई जिसके संबंध में आवेदक के द्वारा बैंक से जानकारी प्राप्त करने पर उक्त LC के संबंध में अनावेदक नर्मदा एक्सट्रूशन्स लिमिटेड की ओर से जो इन्वइस ओर एल आर

LC खुलने के पूर्व की दिनांक की होने से कैंसिल कर आवेदक JBB मार्केटिंग के खाता क्रमांक 53017499382 से राशि वापस बैंक ने प्राप्त कर ली। दौरान जांच में आवेदक, साक्षियों के कथन लेख किये गये जांच से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये गये एवं संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त की गई एवं शिकायत जांच में अपना पक्ष रखने के लिये अनावेदक नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड के संचालन कर्ता प्रवीण मित्तल, प्रणव मित्तल, वरुण मित्तल को कई बार सूचना पत्र भेजा गया सूचना पत्र भेजने पर मौखिक रूप से आश्वासन दिया जाता था कि हम हिसाब मिलान कर रहे हैं, और हर बार समय मांगते रहे किंतु आज दिनांक तक कथन लेखबद्ध नहीं कराये ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये, अनावेदकगण ने एक संगमत होकर आवेदक रिषभ सचदेवा JBB मार्केटिंग प्रा.लि. के साथ धोखाधड़ी की जाकर संदोष लाभ प्राप्त कर आपराध धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध घटित किया जाना पाया गया। संपूर्ण शिकायत जांच में शिकायत कर्ता के कथन पर से, प्रस्तुत दस्तावेज, बैंक से प्राप्त जानकारी, एवं शिकायत जांच पर प्राप्त अभियोजन अधिकारी की राय में प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया जाना लेख किया गया है, शिकायत जांच पर से अनावेदक नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड के संचालन कर्ता प्रवीण मित्तल, प्रणव मित्तल, वरुण मित्तल के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध घटित किया जाना पाया जाने से बाद वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर अनावेदकगण नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड के संचालन कर्ता प्रवीण मित्तल, प्रणव मित्तल, वरुण मित्तल के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है, नकल आवेदन हस्तजेल है--विषय: नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी पूर्ण प्रतिवद्धताएँ, जान बूझकर भुगतान में चूक और LC शर्तों का दुरुपयोग माननीय महोदय, JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन के लिए डेल केडरे एजेंट है, और इसका मुख्यालय इंदौर (म.प्र.) में स्थित है। हम PVC (Polyvinyl Chloride), PP (Polypropylene), और PE (Polyethylene) की आपूर्ति करते हैं। हमारे व्यापार मंडल के तहत, हम अपने ग्राहकों के लिए ऑर्डर दर्ज करते हैं, जिसके बाद रिलायंस सीधे अपने कारखाने या डिपो से ग्राहक के कारखाने में सामग्री भेजता है। JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी होती है कि वह रिलायंस को ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के लिए भुगतान करे और बाद में ग्राहक से भुगतान प्राप्त करे। ग्राहकों के साथ वित्तीय शर्तों के आधार पर, हम पूर्व निर्धारित आधार पर ब्याज भी लेते हैं। नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड हमारे ग्राहकों में से एक है। मैं JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड के श्री प्रवीण मित्तल और उनके पुत्रों, वरुण मित्तल और प्रणव मित्तल द्वारा की जा रही धोखाधड़ीपूर्ण क्रियाकलापों, जानबूझकर भुगतान में चूक, और विश्वासघात के कारण उत्पन्न गंभीर वित्तीय नुकसान की औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रहा हूँ। हमारे व्यावसायिक संबंधों के दौरान, JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को लगातार अनैतिक और छलपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है, जिससे हमें भारी वित्तीय हानि हुई है। विश्वासघात और धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय क्रियाकलाप नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड ने कई धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों में लिस होकर LC शर्तों में हेरफेर किया है। नकली वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रदान किया है, और बकाया राशि की पुष्टि करने से इनकार किया है, जिससे JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारी वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा है और बकाया राशि में वृद्धि हुई है। 1. LC शर्तों में हेरफेर, जबरदस्ती के तरीके, और अवैतनिक इनवइस (2018 - 2023) (अनुबंध 5 और 6) 2018 से 2021 तक, JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगातार नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड को कच्चे माल की आपूर्ति की, श्री प्रवीण मित्तल के इस आश्वासन पर कि भुगतान समय पर किया जाएगा। हालांकि, कई बार याद दिलाने के बावजूद, भुगतान या तो विलंबित किया गया या पूरी तरह से टाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2021 तक लगभग 1-2.4 करोड़ की बकाया राशि हो गई। इसके बाद से यह लगातार बढ़ता गया। नर्मदा हमेशा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी LCs (लेटर ऑफ क्रेडिट) के माध्यम से हमें भुगतान करता था। खासकर 2021 और 2023 के बीच, नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड ने LC तंत्र का दुरुपयोग किया और अपने बैंक में समय सीमा के भीतर इनवइस जमा नहीं किया। बैंकों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि LC खोलने के लिए दी गई इनवइस कुछ दिनों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस - हेरफेर के कारण इनवइस समाप्त हो गई, जिससे

JBB मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड वित्तीय सुरक्षा के और नर्मदा के अविश्वसनीय वादों पर निर्भर हो गया। संलग्न एसएमएस, व्हाट्सएप और ई-मेल प्रमाण दिखाते हैं कि हमने श्री मित्तल को बार-बार याद दिलाया कि इनवॉइस LC खोलने के दायरे से बाहर हो रही है, जिससे हमें भुगतान तान के बिना छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने या तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या झूठे आश्वासन दिए। परिणामस्वरूप, 2022 तक बकाया राशि ₹8 करोड़ हो गई। दिसंबर 2021 से लंबित इनवॉइस आज तक अनविल हैं। मई 2022 में, श्री मित्तल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक JBB MARKETING PVT LTD भविष्य की सामग्री योजना प्रस्तुत नहीं करता, तब तक कोई LC नहीं खोला जाएगा। व्यापार निरंतरता बनाए रखने के दबाव में, JBB MARKETING PVT LTD के पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मार्च 2023 तक, ₹3 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए, लेकिन एक बार फिर भुगतान नहीं किया गया, अधिक क... नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड, श्री प्रवीण मित्तल और उनके पुत्रों वरुण और प्रणव मित्तल के निर्देशन में, JBB MARKETING PVT LTD को नकली LC नंबर प्रदान कर रहा था ताकि हमें बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के सामग्री की आपूर्ति करने के लिए धोखा दिया जा सके। हम उन LC नंबरों के भरोसे सामग्री देते रहे, जो हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए थे, बैंकों से आधिकारिक LC प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना। यह विश्वास का अभ्यास था जो शुरुआत से चला आ रहा था। लेकिन, उन्होंने इस विश्वास का दुरुपयोग किया। उदाहरण के लिए, वरुण मित्तल द्वारा साझा किए गए LC इस प्रकार हैं: LC नंबर: 0382723LCD000158 तारीख: 31 जुलाई 2023 राशि: ₹20 लाख LC नंबर: 265 तारीख: 22 जून 2022 राशि: ₹12.50 लाख LC नंबर: 277 तारीख: 24 जून 2022 राशि: ₹44.80 लाख LC नंबर: 600 और 602 तारीख: 13 दिसंबर 2022 राशि: ₹45.34 लाख और ₹25.36 लाख LC नंबर: 011 तारीख: 16 जनवरी 2023 राशि: ₹27 लाख साझा की गई, लेकिन LC खोला गया केवल ₹23 लाख का LC नंबर: 500, 501, 502 तारीख: 6 अक्टूबर 2022 राशि: ₹26.5 लाख, ₹23.89 लाख, और ₹52.64 लाख, लेकिन आखिरी वाला LC केवल ₹34 लाख के लिए खोला गया था। 12 सितंबर 2023 को, प्रणव मित्तल ने एक और नकली LC नंबर साझा किया: LC नंबर: 0382723LCD000192 तारीख: 12 सितंबर 2023 राशि: ₹20 लाख (180 दिनों के लिए) बैंक से संपर्क करने पर यह पुष्टि हुई कि उस दिन JBB के पक्ष में ऐसा कोई LC जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार की गतिविधियाँ नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड की स्पष्ट बेईमानी, धोखाधड़ीपूर्ण इरादे और सामग्री प्राप्त करने के लिए उनकी अनैतिक हताशा को उजागर करती हैं। उन्होंने धोखाधड़ीपूर्ण वित्तीय विवरण प्रदान करके JBB MARKETING PVT LTD को सामग्री की आपूर्ति जारी रखने के लिए मजबूर किया। 5. नकली UTR नंबर का निर्माण - 7 सितंबर 2023 (अनुबंध 5, वरुण मित्तल) [7:47 am, 10/3/2025] Life Is Game Play It: विश्वासघात का एक और मामला 7 सितंबर 2023 को सामने आया जब वरुण मित्तल ने एक नकली UTR (यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस) नंबर साझा किया और दावा किया कि ₹10.33 लाख का भुगतान सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को किया गया है (कस्टमर द्वारा रिलायंस को सीधे डील की गई एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए भुगतान किया जा रहा है और JBB के माध्यम से नहीं)। जांच करने पर पता चला कि रिलायंस को ऐसा कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। वरुण मित्तल द्वारा प्रदान किया गया RTGS नंबर 23 अल्फान्यूमेरिक वर्णों का था, जबकि मानक RTGS नंबर 22 वर्णों का होता है, जो दर्शाता है कि यह नकली था: नकली UTR: RTGS/ICICR420230906005438531/HDFC0000060 / ₹ 10,33,404.56 DR यह जानबूझकर तैयार किया गया नकली वित्तीय दस्तावेज़ JBB MARKETING PVT LTD को यह विश्वास दिलाने के लिए बनाया गया था कि भुगतान किया गया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच वित्तीय विश्वासघात और गहरा हो गया। 6. वैध LCs का जानबूझकर रद्द करना (अनुबंध 5, 6, 7) नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड ने JBB MARKETING PVT LTD से सामग्री प्राप्त करने के बाद वैध LC रद्द कर दिए। ये रद्दीकरण बिना पूर्व सूचना के किए गए, जबकि सामग्री पहले ही वितरित की जा चुकी थी। तीन विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं, LC नंबर: 0382723LCD000101 राशि: ₹45.2 लाख रद्द करने की तारीख: 23 मार्च 2023 LC नंबर: 0382723LCD000105 राशि: ₹47.25 लाख रद्द करने की तारीख: 4 अप्रैल 2023 LC नंबर: 0382723LCD000108 राशि: ₹45.20 लाख खोलने

की तारीख: 24 मार्च 2023 इन रद्दीकरणों से स्पष्ट होता है कि नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड का इरादा भुगतान से बचने और वित्तीय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का था। 7. बकाया राशि की पुष्टि से इनकार और बचने का व्यवहार (अनुबंध 6) श्री मित्तल ने लगातार JBB MARKETING PVT LTD को बकाया राशि की पुष्टि करने से इनकार किया है। कई मौकों पर, उन्होंने दावा किया कि या तो उन्हें खाता देखने का समय नहीं मिला या उनका अकाउंट्स पर्सन ऑफिस में नहीं था, जो स्पष्ट रूप से जवाबदेही से बचने की एक रणनीति है। 8. JBB कर्मचारियों के प्रति धमकी और अपमानजनक व्यवहार एक अनैतिक कृत्य के तहत, श्री प्रवीन मित्तल ने JBB MARKETING PVT LTD के कर्मचारियों के प्रति धमकी भरा और अपमानजनक व्यवहार किया। जब हमारे कर्मचारी, श्री रमेश थत्ते और श्री जितेंद्र कुमार राठौड़, श्री मित्तल के कार्यालय में बकाया भुगतान पर चर्चा करने गए, तो श्री मित्तल ने आक्रामक व्यवहार किया, मौखिक रूप से अपमान किया और अपने बॉडीगार्ड को निर्देश दिया कि यदि वे फिर से कार्यालय आए तो उन्हें शारीरिक नुकसान पहुँचाया जाए। इस तरह का हिंसक और अपमानजनक आचरण न केवल पूरी तरह से अनुचित है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि श्री मित्तल अपने बकाये का निपटान करने से बचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा व्यवहार JBB MARKETING PVT LTD के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार के साक्ष्य: हमने निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए हैं, जो श्री प्रवीन मित्तल, वरुण मित्तल और प्रणव मित्तल द्वारा की गई धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों और गंभीर विश्वासघात को साबित करते हैं: * वरुण मित्तल और प्रणव मित्तल द्वारा प्रदान किए गए नकली LC नंबरों के रिकॉर्ड। * कुल बकाया राशि दिखाने वाला खाता-बही, जिसमें रद्द किए गए LCs के खिलाफ सामग्री की आपूर्ति दिखाई गई है। * बहीखाता जिसमें ब्याज कटौती का उल्लेख है। * 7 सितंबर 2023 को साझा किए गए नकली UTR नंबर का व्हाट्सएप डॉक्यूमेंटेशन। * श्री मित्तल द्वारा बकाया राशि की पुष्टि करने से इनकार और उनकी लगातार टालमटोल। * 2022 के ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों के रिकॉर्ड, जिसमें श्री मित्तल ने JBB MARKETING PVT LTD को भविष्य की सामग्री योजना प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि हुई। * उन मेल्स की प्रतिलिपियाँ जहाँ JBB ने उन्हें बार-बार LC दायरे से बाहर हो रहे इनवॉइस की याद दिलाई, खाता-बही भेजी जिनका जवाब नहीं मिला, RTGS भुगतान के अनुरोध जो कभी नहीं आए, और बकाया राशि घटाने के अनुरोध जो कभी पूरे नहीं हुए। नर्मदा एक्सट्रान्स लिमिटेड का पता: कार्यालय 4th फ्लोर, रजनी भवन, 569/2, महात्मा गांधी रोड, नेहरू पार्क 2, धर्नु मार्केट, इंदौर, म.प्र. 452001 कारखाना: प्लॉट नंबर 71, सेक्टर 1, पीथमपुर, म.प्र. 454775 गोडाउन: खसरा नंबर 482, नखरानी धानी, राऊ, इंदौर, म.प्र. 453331 प्रवीन मित्तल का निवास स्थान: 7/2 खजराना कोठी, बैकुंठ धाम कॉलोनी, तिलक नगर, इंदौर, म.प्र. लैंडमार्क: रवि अल्पहार कचौरी वाले के पास वाली गली धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ, JBB MARKETING PVT LTD ऋषभ सचदेवा Rsachdey, "मीरा कुंज", 2 जॉय पलासिया, पत्रकार कॉलोनी स्कूयायर के पास, इंदौर - 452018 (म.प्र.) हस्ताक्षर अग्रेजी में।